संशोधित– स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम : दुर्गा चैरिटेबिल सोसाइटी।

2– संस्था का पूरा पता : गुडविल बिल्डिंग, मोहननगर, जी0टी0 रोड, गाजियाबाद।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र : भारत वर्ष का सम्पूर्ण क्षेत्र।

4– संस्था के उद्देश्य :

1. चिकित्सा सम्बन्धी समाज में प्रचार करना तथा नागरिकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना।
2. चैरिटेबिल चिकित्सा की व्यवस्था तथा प्रबन्ध करना तथा क्लीनिक, बाह्य रोगी विभाग, नर्सिंग होम, अस्पताल आदि की स्थापना करना।
3. मेलों तथा अन्य स्थानों पर चिकित्सा कैम्प लगाना।
4. गरीब मरीजों की दवाईयों के अतिरिक्त फल, दूध एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना।
5. गरीब बस्तियों में समय– समय पर कैम्प लगाना और आवश्यकतानुसार उनकी समस्याओं का समाधान करना।
6. शराब, धूम्रपान एवं नशीली वस्तुओं से होने वाली हानि के बारे में अवगत कराना।
7. बालक–बालिकाओं के शिक्षा संस्थानों में कैम्प लगाकर बच्चे की जांच करना तथा दवाईयां देना।
8. शिक्षा संस्थाएं, इजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, फार्मेसी कॉलिज, नर्सिंग कॉलेज, पेरामैडिकल सांइसेज कॉलिज, पॉलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी तथा वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने हेतु कॉलेज, इन्स्टीट्यूट, स्कूल आदि की स्थापना करना।
9. चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
10. कानून (लॉ) की शिक्षा प्रदान करना, कानून (लॉ) कॉलेज की स्थापना करना तथा होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग टैक्नोलॉजी, फेशन टैक्नोलॉजी, हास्पिटीलिटी, इन्श्योरेन्स जर्नलिस्ट मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्टस, बायोटैक्नोलॉजी, माईक्रोबॉयोलॉजी, फिजियोथेरेपी, आक्युयोथेरेपी, आक्युपेशनलथेरेपी की शिक्षा प्रदान करना एवं इससे सम्बन्धित कॉलेज की स्थापना करना।
11. संस्था द्वारा विश्विविद्यालय की स्थापना करना जिसके अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, डेन्टल, फार्मेसी, नर्सिंग पैरामेडिकल सांइसेज, मैनेजमेन्ट वाणिज्य, एप्लाईड विज्ञान, कम्प्यूटर, भाषा सम्बन्धित, कानून (लॉ), होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग टैक्नोलॉजी, फैशन टैक्नोलॉजी, हास्पिटीलिटी, इन्श्योरेन्स जर्नलिस्ट मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्टस, बायोटैक्नोलॉजी, माईक्रोबॉयोलॉजी, फिजियोथैरेपी तथा आक्युपेशनलथेरेपी का प्रारम्भ करना तथा भविष्य में भी सामाजिक कल्याण तथा शिक्षा क्षेत्र में समय की मांग को देखते हुए अन्य पाठ्यक्रमों का भी प्रारम्भ करना।
12. आर्थिक रूप से कमजोर एवं गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित लोगों को 'किसी भी' निजी अस्पतालों में उपचार अथवा दवाईयों व अन्य सुविधाओं हेतु संस्था द्वारा सहयोग तथा उचित आर्थिक सुविधा प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि
फो० म० आ० / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
9/10/23

सत्यमेव जयते
निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0)

Shanti Chadha Meera Chadha Sohil Chadha Lalitha Chadha

संशोधित नियमावली पत्र (04.02.2023)

1. संस्था का नाम : दुर्गा चैरिटेबिल सोसाईटी
2. संस्था का पता : गुडविल बिल्डिंग मोहननगर, जी0टी0 रोड़, गाजियाबाद।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : भारत वर्ष एवं भारत के बाहर को सम्पूर्ण क्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य : वह सभी जो स्मृति पत्र में दर्शाये गये है।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों की श्रेणी : भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जो संस्था के उद्देश्य में पूर्ण विश्वास रखता हो, वह संस्था का सदस्य बन सकता है जिसके लिये उस व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सदस्यता शुल्क सहित सचिव को देगा। सचिव इस प्रार्थना पत्र को कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तो वह संस्था का सदस्य बन जायेगा। यदि प्रार्थना पत्र अस्वीकार होता है तो उसको सदस्यता शुल्क वापिस कर दी जायेगी।

   सदस्यों की श्रेणी 1. संरक्षक सदस्य 2. आजीवन सदस्य
   3. साधारण सदस्य 4. मनोनीत सदस्य

1. संरक्षक सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक बार में दस हजार रूपया संस्था को सदस्यता शुल्क देगा और कार्यकारिणी की स्वीकृति प्राप्त होने पर वह संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा। इनको वार्षिक शुल्क नही देना पड़ेगा। इनको यह सुविधा भी है कि वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर संस्था का मनोनीत सदस्य नियुक्त कर सकता है और यदि वह अपने जीवन काल में कोई प्रतिनिधि मनोनीत नही कर सके तो उनका जो भी वारिस होगा, वह संस्था का सदस्य बन जायेगा, उसको संस्था का कोई भी संस्था शुल्क नही देना होगा और उसको संरक्षक सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त होगें।

2. आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को पाँच हजार सदस्यता शुल्क एक बार में देगें वे कार्यकारिणी की स्वीकृति प्राप्त होने पर वह व्यक्ति आजीवन सदस्य बन जायेगे। उनको कोई वार्षिक शुल्क देना नही होगा।

3. साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक हजार रूपया शुल्क देगा, वे कार्यकारिणी की स्वीकृति प्राप्त होने पर वह संस्था का तीन वर्ष के लिये साधारण सदस्या बन जायेगा। साधारण सदस्य को हर तीन साल बाद संस्था शुल्क देना होगा।

4. मनोनीत सदस्य : संस्था की कार्यकारिणी समिति तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संस्था की कार्यकारिणी समिति के लिये मनोनीत कर सकती है। इन सदस्यों को कोई सदस्यता शुल्क नही देना पड़ेगा तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होगा।

सत्य प्रतिलिपि
फौ0 म0 आ0 / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
21/08/23

5. सदस्यता की समाप्ति : कोई भी सदस्य जो निम्नलिखित त्रुटि के अन्तर्गत आता है, वह सदस्य कार्यकारिणी समिति की आज्ञा से पृथक किया जा सकता है।

Meera Chadha

1 चरित्रहीनता एवं किसी पद में अयोग्य हो जाने पर।

2 ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा दण्डित हुआ हो।

3 ऐसा सदस्य जिस पर संस्था का चन्दा अथवा कोई रुपया बकाया हो और वह 6 माह तक न दे सका हो।

4 कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी कोई ऐसा कार्य अपने स्वार्थहित में करे जिससे संस्था का अहित हो।

5 किसी सदस्य के पागल अथवा मस्तिष्क सन्तुलन बिगड़ जाने पर।

6 किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।

7 किसी संरक्षक सदस्य की मृत्यु होने पर उसके द्वारा मनोनीत अथवा उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसके स्थान पर संस्था का संरक्षक सदस्य माना जायेगा।

8 किसी सदस्य के संस्था परिसर में शराब या अन्य कोई नशे का व्यसन करने पर।

9 सदस्यता के बारे में यदि सदस्यों अथवा पदाधिकारियों में कोई विवाद हो जाये तो उस बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ★ मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0) — सत्यमेव जयते

6. संस्था के अंग

(1) साधारण सभा

(2) कार्यकारिणी समिति

7. साधारण सभा का गठन

(1) साधारण सभा मे सभी वर्ग के सदस्य साधारण सभा के सदस्य होगें।

(2) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा के पदाधिकारी होगें।

(3) बैठक साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष 31 मई तक अवश्य बुलाई जायेगी।

(4) विशेष बैठक अध्यक्ष तथा सचिव विशेष बैठक कभी भी बुला सकते है।

(5) सूचना अवधि साधारण सभी की बैठक बुलाने के लिये 10 दिन पूर्व सूचना देने पर। सूचना सभी सदस्यों को लिखित रूप में अथवा अखबार मे दी जायेगी। विशेष बैठक के लिये सूचना दूरभाष द्वारा 4 दिन पूर्व भी दी जा सकती है, यदि लिखित में समय अभाव के कारण सम्भव न हो।

गणपूर्तिः– कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई 1/3 सदस्यों को उपस्थिति होने पर साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति मानी जायेगी।

8. साधारण सभा के कर्त्तव्य व अधिकार

(क) साधारण सभा द्वारा कार्यकारिणी समिति का चुनाव निम्न ढंग से करेगी जिसमें 9 (नौ) सदस्य होगें वे सदस्य अपने में से पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे।

(1) संरक्षक सदस्य अपने में से ही 4 सदस्यों का चुनाव करेंगे।

(2) आजीवन सदस्य अपने में से 3 सदस्यों का चुनाव करेंगे।

(3) साधारण सदस्य अपने में से 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे।

सत्य प्रतिलिपि
प्रो० म० अ०/फर्म्स सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

Meera Chadha

(ख) संस्था की आय व्यय की स्वीकृति करेगी और आगामी वर्ष के लिये बजट की स्वीकृति प्रदान करना।

(ग) संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन का स्वीकृति देना। साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से प्रबन्धक समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे, जिनमें निम्न पद होंगे:

अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1, संयुक्त सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, समिति सदस्य 4, कुल सदस्य 9

बैठक सामान्य बैठक प्रत्येक 3 माह के बाद बुलाई जायेगी।

(क) विशेष बैठक अध्यक्ष तथा सचिव की आज्ञा से बुलाई जा सकती है।

(ख) सूचना अवधि सामान्य बैठक के लिये दस (10) दिन पूर्व सूचना पर बुलाई जायेगी, इसकी सूचना लिखित में दी जायेगी तथा विशेष बैठक चार दिन पूर्व सूचना देने पर, यह सूचना दूरभाष द्वारा भी दी जा सकती है।

गणपूर्ति प्रबंधक समिति की बैठक की गणपूर्ति एक तिहाई 1/3 सदस्यों की उपस्थिति पर मानी जायेगी।

(ग) रिक्त स्थानः समिति के चालू वर्ष मे कोई स्थान रिक्त हो जाने पर उस स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिये प्रबंधक समिति संस्था के सदस्यों मे से ही किसी भी सदस्य को मनोनीत करके करेगी।

9. प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य

(क) संस्था का आय व्यय का चिट्ठा प्रतिवर्ष तैयार करना और संस्था का हिसाब रखना साधारण सभा के द्वारा पत्र अनुमोदित करना।

(ख) संस्था की सम्पत्तियों की देखभाल करना।

(ग) व्यवस्था एवं सहायता की दृष्टि से एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन करना।

(घ) संस्था के उद्देश्य पूर्ति हेतु समय समय पर किसी भी स्तर से व्यक्ति एवं संस्थाओं से आर्थिक सहायता, अनुदान एवं दान आदि द्वारा धन एकत्रित करना।

किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोसाईटी, ट्रस्ट अथवा व्यक्ति से कर्ज प्राप्त करना।

(ण) कार्यकालः प्रबन्ध समिति का कार्यभार 3 वर्ष का होगा।

(च) साधारण सभी की बैठक में भी प्रबन्ध समिति के ही पदाधिकारी होगें।

10. प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार

(क) अध्यक्ष

1 समान मत होने की स्थिति में निजी मत के अतिरिक्त अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देना होगा।

2 आवश्यकता पड़ने पर अपनी इच्छानुसार बैठक बुलाना।

3 सूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की किसी भी सदस्य को स्वीकृति प्रदान करना।

4 साधारण सभा/प्रबन्ध समितियों की बैठक की अध्यक्षता करना।

सत्य प्रतिलिपि
फौ० म० आ०/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

Meera Chadha
Shanti Chadha
Sahil Chadha
Lakha Chadha

(ख) उपाध्यक्षः
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना अथवा उनके द्वारा सौपे गये कार्य को करना।

(ग) सचिवः
– संस्था को सूचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा।
– साधारण सभा तथा समिति की बैठक बुलाना और उन बैठकों मे उपस्थित रहकर समिति की बैठक की कार्यवाही लिखना।
– प्रबन्ध समिति के समस्त प्रस्तावों की कार्यवाही रजिस्टर में लिखना तथा भविष्य की योजनाओं से प्रबन्ध समिति को अवगत कराना।
– आय व्यय का चिटठा तैयार करना तथा निरीक्षण कराकर उनको प्रबन्ध समिति के समक्ष रखना।
– संस्था के समस्त चल अचल सम्पत्ति के कागजात अपने पास रखना तथा देखभाल करना।
– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
– बिलो व खर्चो पर स्वीकृति देना।
– संस्था की ओर से इकरारनामा करना।
– संस्था के ऋण के लिये सभी ओपरिकाएं पूर्ण करना तथा ऋण के लिये संस्था तथा संस्था द्वारा स्थापित इन्स्टीटयूट/कॉलेज की चल तथा अचल सम्पत्ति को बैंक/वित्तीय संस्थान/व्यक्ति के पास रहन/गिरवी रखना तथा इस सन्दर्भ में सभी कागज़ातों पर हस्ताक्षर के लिये संस्था का प्रतिनिधित्व करना तथा ऋण सम्बंधी सभी खर्चे/फीस आदि का भुगतान करना।

(घ) उप प्रबन्धकः
प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के सभी कार्य करना तथा प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

(ण) कोषाध्यक्षः
1 सभी प्रकार की चल सम्पत्ति का आदान प्रदान तथा संरक्षण करके उसका पूर्ण विवरण रखना।
2 संस्था की ओर से दान, सदस्यता शुल्क अथवा अन्य प्रकार का दान प्राप्त करना।
3 प्रति वर्ष 31 मार्च को संस्था का वार्षिक आय–व्यय का चिट्ठा तैयार करना।
4 रू0 1000/– तक अपने पास रख सकता है।

नोटः कार्यकारिणी संस्था के सभी प्रकार के कर्मचारियों हेतु एक सेवा शर्त एवं नियमावली अलग से तैयार करेगी जो साधारण सभा द्वारा अनुमोदित कराई जायेगी। सचिव के द्वारा ही नियुक्त पत्र सभी प्रकार के कर्मचारियों को जारी किये जायेंगे।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन करना — संस्था का कोष किसी भी बैंक में खोला जा सकता है, जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष तीनों के हस्ताक्षर द्वारा खोला जायेगा तथा किसी दो के हस्तारक्षर से रूपया निकाला जायेगा।

12. संस्था का आयव्यय का लेखा — प्रबन्ध समिति द्वारा लेखा परीक्षक (आडिटर) नियुक्त किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
फो0/मे0 आ0/पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
9/10/...

Meera Chadha
Banti Chadha
Sahil Chadha
Lakha Chadha

परीक्षण

13. संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व — सभी न्यायालय सम्बंधी कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी।

14. संस्था का अभिलेख — सदस्यता रांजेस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा सम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि सभी कामजात कम्पयूटरीकृत रूप मे सचिव के पास रहेंगे।

15. संस्था के विघटर और विच्छिन्न सम्पत्ति का निस्तारण — (क) संस्था को यादि किसी कारण से समाप्त करना पड़ जाये तो उसके नाम से समस्त नगद, चल, अचल सम्पत्ति साधारण सभा द्वारा बहुमत के निर्णय के अनुसार किसी सामाजिक संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। इस बैठक में साधारण सभी के कुल सदस्यों 3/5 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है।

(ख) समिति की हानि होने पर कोई भी सदस्य उस हानि को पूर्ण करने के लिये बाध्य नही होगा।

(ग) विवाद की अवस्था में न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

(घ) विघटन की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अधीन की जायेगी।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

दिनांक:

सत्यप्रतिलिपि संत्यापित की।

Meera Chadha

सत्य प्रतिलिपि
फो० म० आ० / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
21/08/23

परीक्षण

13. संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व — सभी न्यायालय सम्बंधी कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी।

14. संस्था का अभिलेख — सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा सम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि सभी कामजात कम्पयूटरीकृत रूप मे सचिव के पास रहेंगे।

15. संस्था के विघटर और विच्छिन्न सम्पत्ति का निस्तारण — (क) संस्था को यादि किसी कारण से समाप्त करना पड़ जाये तो उसके नाम से समस्त नगद, चल, अचल सम्पत्ति साधारण सभा द्वारा बहुमत के निर्णय के अनुसार किसी सामाजिक संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। इस बैठक में साधारण सभी के कुल सदस्यों 3/5 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है।
(ख) समिति की हानि होने पर कोई भी सदस्य उस हानि को पूर्ण करने के लिये बाध्य नही होगा।
(ग) विवाद की अवस्था में न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार किया जायेगा।
(घ) विघटन की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अधीन की जायेगी।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०)
सत्यमेव जयते

दिनांकः

सत्यप्रतिलिपि संत्यापित की।

Meera Chadha

सत्य प्रतिलिपि
फो० म० आ० / पटल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ

दुर्गा चैरिटेबिल सोसाइटी

गुडविल बिल्डिंग, मोहननगर, जिला– गाजियाबाद।

संस्था की आम सभा की बैठक पूर्व एजेण्डे के निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांकः 20.12.2022 को संस्था के कार्यालय में श्री जी0एस0 चड्ढा जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति का कोरम 2/3 से अधिक रहा, बैठक का कोरम पूरा रहा।

प्रस्ताव सं0–एक :–
गत कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

सभा में गत बैठक की कार्यवाही को पढकर सुनाया, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0–दो :–
संस्था के स्मृति पत्र में उद्देश्य बढाये जाने पर विचार।

सभा में अवगत कराया कि पंजीकृत उद्देश्य सही है। परन्तु शैक्षिक/सामाजिक कार्य करने हेतु उसमें उद्देश्य बढाये गये है, अतः बढाये गये उद्देश्य क्रमांक 12 पर अंकित ओर किया गया है। जो निम्न प्रकार से है :–

12– आर्थिक रूप से कमजोर एवं गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित लोगों को किसी भी निजी अस्पतालों में उपचार अथवा दवाईयों व अन्य सुविधाओं हेतु संस्था द्वारा सहयोग तथा उचित आर्थिक सुविधा प्रदान करना।

उपरोक्त किये गये संशोधन को सभा में उपस्थित सदस्यों ने सही बताया और कोई विरोध न करते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

प्रस्ताव सं0–दो :–
संस्था की नियमावली में आंशिक संशोधन किये जाने पर विचार।

सभा में अवगत कराया कि संस्था के प्रबन्धसंचालन को देखते हुए संस्था की पंजीकृत नियमावली में आंशिक संशोधन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्था की नियमावली में आंशिक संशोधन/परिवर्तन किया गया है। संशोधित नियमावली का विवरण निम्नवत है :–

पूर्व		प्रस्तावित संशोधन
9– प्रबन्धसमिति के अधिकार व कर्तव्य :– घ– उद्देश्य पूर्ति हेतु समय समय पर दान आदि द्वारा धन एकत्रित करना तथा किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोसाइटी, ट्रस्ट अथ्रवा व्यक्ति से कर्ज प्राप्त करना।		**9– प्रबन्धसमिति के अधिकार व कर्तव्य :– घ–** संस्था के उद्देश्यों पूर्ति हेतु समय समय पर किसी भी स्तर से व्यक्ति एवं संस्थाओं से आर्थिक सहायता, अनुदान एवं दान आदि द्वारा धन एकत्रित करना तथा किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोसाइटी, ट्रस्ट अथवा व्यक्ति से कर्ज प्राप्त करना।
14– संस्था का अभिलेख :– सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा सम्पत्ति रजिस्टर, सभी कागजात सचिव के पास रहेगें।		**14– संस्था का अभिलेख :–** सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तथा सम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि सभी कागजात कम्प्यूटरीकृत रूप से सचिव के पास रहेगें।

इसके अतिरिक्त नियमावली में अन्य किसी प्रकार का कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया गया, सभा में किये गये संशोधनों/परिवर्तनों को सही बताते हुए समर्थन किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

<u>सत्यप्रतिलिपि।</u>

सत्य प्रतिलिपि
फी0 म0 आ0/ प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
21/08/23

Shanti Chadha
Sahil Chadha
Meera Chadha
Lakhi Chadha